न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 283/2022

वादी :-
विजयराज पुत्र मदनलाल जाति महाजन
निवासी भैरून्दा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :-
1-किरणदेवी पत्नी विमल बाहेती जाति महाजन निवासी भैरून्दा
2-सुशील कुमार पुत्र रामवल्लभ जाति महाजन निवासी भैरून्दा
3-गोपालसिंह पुत्र खींयां जाति जाट निवासी भैरून्दा
4-तुलछाई पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी भैरून्दा
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी
6-पटवारी हल्का भैरून्दा तहसील रियांबड़ी

दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 25/09/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :-

1-यह है कि मौजा गुढा जोधा की सहरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.2800 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद भूमि आई हुई है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की जायेगी। नकल खतौनी संलग्न है।

2-यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 1 का 1/96 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 7/96 हिस्सा है। तथा मौके पर सहूलियत से अलग-अलग काश्त व कब्जा है। मगर वादग्रस्त खसरा की खातेदारी में वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से नाम दर्ज है। तथा मौके पर खसरा नंबर 21 रकबा 1.2800 हैक्टर में सें रकबा 0.6400 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर वादी का अलग से काश्त व कब्जा है। लेकिन वादग्रस्त खसरा का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के बीच नहीं हुआ है।

3-यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या 1 का 1/96 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा,प्रतिवादीनी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 7/96 हिस्सा बिना फंटा हुआ है। लेकिन विधिवत बंटवारा नही हो रखा है।

4-यह है कि विवादित खसरा की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज होने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है और प्रतिवादीगण अन्य लोगो से मिलावट करके बिना बंटवारे के वादग्रस्त खसरा के विशेष भू भाग को बेचान करने पर आमादा है। वादी को काश्त नहीं करने दे रहे है। अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीनीय क्षति कारित होगी। इसलिए दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5-यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

ए. यह है कि विवातिद खसरा का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर मौजा गुढा जोधा के खसरा नंबर 21 रकबा 1.2800 हैक्टर में सें रकबा 0.6400 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार भूमि पर वादी का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें व वादी के नाम अलग से खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व नक्शा में तरमीम किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

ह है कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वंय करे ना ही अन्य से करवावें। राजस्व व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें।

ग्रह है कि वादी को अन्य रिलीफ जो भी हो इता फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब गया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से तामिले भिजवाई गई फिर भी लंबे समय की उपरांत यायालय में उपस्थित नहीं हुए। आवाज लगाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूध एक पक्षीय वाही की गई। तथा जबाब बंद किया गया।

प्रतिवादीगण के विरूध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के उपरांत वादग्रस्त आराजी के संबंध में ल वादी ने निवेदन किया गया कि उक्त खसरान की बंटवारा स्कीम तहसीलदार रियांबड़ी से ाई जावें। जिस पर प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार रियांबड़ी से बंटवारा म मंगवाने हेतू लिखा गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा म बनाकर दिनांक 28.08.2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी बंटवारा स्कीम में वादग्रस्त आराजी का बंट मय मौके व र्ड अनुसार नक्शे में दर्शित किया गया है। जिसमें वादी का 0.64 हैक्टर भूमि पूर्वी तरफ सेपरेट हुई है। जिस पर वादी का कब्जा काशत है। तथा प्रतिवादी किरणदेवी का 1/48 हिस्सा, वादी तुलछाई का 5/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी सुशीलकुमार का 7/48 हिस्सा का बंट पश्चिमी रफ आया हुआ है। जिस पर कब्जा काश्त है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर पलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार रियांबड़ी की बंटवारा स्कीम का वलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को वादी का ाद स्वीकार कर लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है तथा बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं हुए । तथा तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम पर भी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की बीच तहसीलदार रियांबडत्री द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में दर्शित नजरी नक्शा व बंटवारा अनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के बीच निम्न प्रकार से ंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाता है।

मौजा गुढ़ा जोधा के खसरा नंबर 21 रकबा 1.2800 हैक्टर भूमि में वादी का 0.64 हैक्टर पूर्वी रफ सेपरेट बंट में रहेगा तथा पश्चिमी तरफ प्रतिवादी किरणदेवी का 1/48 हिस्सा,प्रतिवादी लछाई का 5/6 हिस्सा,प्रतिवादी सुशील कुमार का 7/48 हिस्सा बंट में रहेगा। जो तहसीलदार ी रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा में दर्शित है।

तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो कि उपरोक्तानुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें। इसी आशय का अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। विभाजन प्रस्ताव की प्रति निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25/09/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर